



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दोषमुक्ति अपील संख्या 125/2015

निर्णय आरक्षित किया गया : 25.07.2025

निर्णय पारित किया गया : 08.08.2025

-
- छत्तीसगढ़ राज्य, थाना प्रभारी के द्वारा , पुलिस थाना जीआरपी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।

---अपीलकर्ता

बनाम

- विकास यादव, पिता गोपाल यादव, आयु 19 वर्ष, निवासी पहाड़ीपारा, साई मंदिर निवासी पास, गुडियारी, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

----उत्तरवादी

अपीलार्थी हेतु :

सुश्री प्रज्ञा पांडे, उप शासकिय अधिवक्ता।

उत्तरवादी हेतु :

श्री नवीन शुक्ला, अधिवक्ता।

(माननीय श्री राधाकिशन अग्रवाल, न्यायाधीश)

सीएवी निर्णय

1. अपीलकर्ता/राज्य द्वारा दायर यह बरी करने की अपील एनडीपीएस प्रकरण संख्या 14/2014 में एनडीपीएस अधिनियम, दुर्ग, छत्तीसगढ़ के विशेष न्यायाधीश द्वारा दिनांक 04.05.2015 को पारित निर्णय से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत विद्वान विचारण न्यायालय ने संदेह के लाभ के आधार पर स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (जिसे आगे 'एनडीपीएस एक्ट' कहा जाएगा) की धारा 21(बी) के तहत आरोप से अभियुक्त/उत्तरवादी को दोष मुक्त कर दिया था।

2. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 16.07.2014 को पीडब्लू-6 श्रीमती दया कुर्रे, प्रभारी उपनिरीक्षक को मुखबिर से गुप्त सूचना मिली कि प्रतिवादी, जो अहमदाबाद-हावड़ा एक्सप्रेस (जनरल कोच) में यात्रा कर रहा है, नागपुर में विक्रय के लिए ब्राउन शुगर ले जा रहा है। यह सूचना प्राप्त होने पर, अभि.सा.-6 श्रीमती दया कुर्रे ने इसे रोज़नामचा सनहा (प्र.पी.-19) में लिखित रूप में दर्ज कराया। इसके बाद उन्होंने एक सिपाही के माध्यम से साक्षियों को बुलाया और पुलिस कर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुँचीं। घटनास्थल पर, उन्होंने उत्तरवादी को ट्रेन के गेट के पास से पकड़ लिया और मुखबिर से प्राप्त सूचना के



बारे में बताया। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के अनुपालन में, उत्तरवादी को एक नोटिस (प्र.पी-4) दिया गया था। इसके बाद, उत्तरवादी द्वारा पुलिस दल और गवाहों की व्यक्तिगत तलाशी भी ली गई। उत्तरवादी की सहमति के अनुसार, पीडब्लू-6 श्रीमती दया कुर्रे ने अन्य पुलिस कर्मियों के साथ गवाहों की उपस्थिति में प्रतिवादी की तलाशी ली (देखें एक्स. पी-5) और एक सफेद पॉलीथीन बैग में लिपटा हुआ गहरे रंग का मादक पदार्थ मिला, जो उसकी पूरी लंबाई वाली पैंट की दाहिनी जेब में रखा था। तत्पश्चात, अभि.सा.-6 श्रीमती दया कुर्रे ने पदार्थ को सूंघकर और छूकर उसकी पहचान ब्राउन शुगर के रूप में की और प्र. पी-7 के अनुसार पहचान पंचनामा तैयार किया। जब बरामद पदार्थ का साक्षियों की उपस्थिति में वजन किया गया तो उसका वजन 105 ग्राम पाया गया था। जब्त सामग्री से 10-10 ग्राम ब्राउन शुगर लेकर प्र. पी-9 के अनुसार दो नमूना पैकेट तैयार किए गए। तत्पश्चात, नमूनों को सीलबंद किया गया तथा प्र.पी-10 के तहत नमूना सील पंचनामा तैयार किया गया तथा प्र.पी-11 के तहत कथित पदार्थ का जब्त ज्ञापन तैयार किया गया था। कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात, प्रतिवादी के विरुद्ध एफआईआर (प्र.पी-25) दर्ज की गई तथा इसकी सूचना प्र.पी-26 के तहत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, दुर्ग को प्रेषित की गई थी। तत्पश्चात, अभि.सा.-6 श्रीमती दया कुर्रे ने सीलबंद जब्त पैकेटों को अभि.सा.-4 परमानंद भोई को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने हेतु सौंप दिया तथा भण्डार रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टि करने के पश्चात, शेष जब्त सामग्री को प्र.पी-16 के तहत मालखाना भेज दिया गया था। इसके बाद, साक्षियों के बयान दर्ज किए गए और जब्त नमूनों के पैकेटों को प्र.पी.-24 के तहत रासायनिक जांच के लिए एफ.एस.एल. को भेजा गया और एफ.एस.एल. रिपोर्ट (प्र.पी.-30) के अनुसार, बरामद पदार्थ ब्राउन शुगर पाया गया था। अभियुक्त/उत्तरवादी को एक्स पी/-13 के माध्यम से अभिरक्षा में लिया गया था।

3. अन्वेषण पूरी होने के बाद, अभियुक्त/उत्तरवादी के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम, दुर्ग के विशेष न्यायाधीश के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। उत्तरवादी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और बचाव पक्ष में तर्क प्रस्तुत किया।

4. अपराध सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 6 साक्षियों की परीक्षा की तथा अपने मामले के समर्थन में 30 दस्तावेज प्रस्तुत किए। उत्तरवादी ने अपने बचाव में किसी से भी परीक्षा नहीं की और न ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया।

5. विद्वान विचारण न्यायालय ने, पक्षों के अधिवक्ताओं की सुनवाई करने और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात, अपने निर्णय द्वारा अभियुक्त/उत्तरवादी को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया।

6. अपीलकर्ता/राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय द्वारा विकृत निष्कर्ष दर्ज करके अभियुक्त/उत्तरवादी को उक्त आरोप से दोषमुक्त करना अनुचित है। उन्होंने आगे कहा कि अभिलेख पर ठोस और निर्णायक साक्ष्य उपलब्ध हैं, विशेष रूप से, पीडब्लू-2 शिवशंकर चतुर्वेदी और पीडब्लू-6 श्रीमती दया कुर्रे, अन्वेषण अधिकारी के साक्ष्य, जो अभियुक्त/उत्तरवादी को उसके विरुद्ध आरोपित अपराध से जोड़ते हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा एनडीपीएस अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों



का पालन किया गया है और इसके बावजूद, विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों का सही परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन किए बिना अभियुक्त/उत्तरवादी को दोषमुक्त करने में गंभीर त्रुटि की है। इस प्रकार, दोषमुक्ति का आक्षेपित निर्णय विकृत और अवैध है, इसलिए इसे अपास्त किये जाने योग्य है।

7. दूसरी ओर, उत्तरवादी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि तलाशी की कार्यवाही के दौरान, अभियुक्त को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लेने के उसके अधिकार के बारे में सूचित नहीं किया गया, जिससे यह संकेत मिलता है कि अभियोजन पक्ष एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 में निहित प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जब्ती के गवाह, अभियोग पक्ष-2, शिवशंकर चतुर्वेदी ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया, और जब्ती के एक अन्य गवाह, राजाराम मिश्रा से भी पूछताछ नहीं की गई। उन्होंने यह भी कहा कि मादक पदार्थ सील पंचनामा (प्रदर्श पी-10) पर कोई नमूना सील नहीं लगी है और मालखाना रजिस्टर में ऐसी कोई प्रविष्टि नहीं है जिससे पता चले कि नमूने के पैकेट कभी निकाले गए थे। उनका तर्क है कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य और सामग्री दस्तावेजों का मूल्यांकन करने के बाद, विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर सही रूप से पहुँची है कि अभियोजन पक्ष उत्तरवादी को संबंधित अपराध से जोड़ने के लिए उचित संदेह से परे अपना मामला साबित नहीं कर पाया है, जिसके परिणामस्वरूप उसे दोषमुक्त कर दिया गया। अतः, अपील खारिज किए जाने योग्य है।

8. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया है।

9. (2022) 8 एस. सी. सी. 440 में रिपोर्ट किए गए जाफरुद्दीन तथा अन्य बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दोषमुक्ति जाने के विरुद्ध अपील में हस्तक्षेप की गुंजाइश पर विचार किया है, जो निम्नानुसार है:---

25. धारा 378 सीआरपीसी का प्रयोग करके दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील पर विचार करते समय, अपीलीय न्यायालय को यह विचार करना होगा कि क्या विचारण न्यायालय के दृष्टिकोण को संभावित दृष्टिकोण माना जा सकता है, विशेषकर तब जब रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य का विश्लेषण किया गया है। इसका कारण यह है कि दोषमुक्ति का आदेश अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषता की धारणा को बढ़ाता है। इस प्रकार, अपीलीय न्यायालय को दोषमुक्त करने वाले विचारण न्यायालय के आदेश को पलटने में अपेक्षाकृत धीमी गति से काम करना पड़ता है। अतः, अभियुक्त के पक्ष में धारणा कमजोर नहीं होती है, बल्कि और मज़बूत होती है। अभियुक्त के पक्ष में बनी ऐसी दोहरी धारणा को केवल स्वीकृत विधिक मानदंडों पर गहन जाँच करके ही तोड़ा जा सकता है।”

10. जहां तक प्रश्नगत अपराध में उत्तरवादी की संलिप्तता का प्रश्न है, अन्वेषण अधिकारी पीडब्लू-6 श्रीमती दया कुर्रे का साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है। उसने बयान दिया कि 07.06.2014 को मुखबिर से गुप्त सूचना मिली कि उत्तरवादी, जो अहमदाबाद-हावड़ा एक्सप्रेस (जनरल कोच) में यात्रा कर रहा है, नागपुर में बिक्री के लिए ब्राउन शुगर ले जा रहा है और उसके बाद, उसने सूचना को रोजनामचा सन्हा (एक्स. पी-19) में दर्ज किया।



एक सिपाही के माध्यम से साक्षियों को बुलाने पश्चात् वह पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंची तथा उत्तरवादी को मौके पर ही पकड़ लिया। उसने आगे बयान दिया है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 के अनुपालन में, उत्तरवादी को एक नोटिस (एक्स पी/-4) दिया गया था जिसमें उसे सूचित किया गया था कि वह एक राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा तलाशी ले सकता है, जिस पर आरोपी/उत्तरवादी ने उसके द्वारा तलाशी लेने के लिए अपनी सहमति दी थी। इसके बाद, उत्तरवादी द्वारा पुलिस दल तथा साक्षियों की व्यक्तिगत तलाशी भी ली गई थी। उत्तरवादी की सहमति के अनुसार एक्स पी-8, उसने अन्य पुलिस कर्मियों के साथ साक्षियों की उपस्थिति में एक्स पी/5 के माध्यम से उत्तरवादी की तलाशी ली तथा एक सफेद पॉलिथीन बैग में लिपटा एक गहरे रंग का मादक पदार्थ पाया जो उसकी पूरी पैंट की दाहिनी जेब में रखा गया था तथा उसे एक्स पी/6 के माध्यम से जब्त कर लिया गया था। इसके बाद, उसने एक्स पी 7 के द्वारा उस पदार्थ को सूंघकर तथा छूकर, इसकी पहचान ब्राउन शुगर के रूप में की तथा पहचान पंचनामा तैयार किया। जब्त की गई वस्तु को तब एक्स पी-8 के माध्यम से तौला गया था तथा इसका वजन 105 ग्राम पाया गया। उसने यह भी बयान दिया कि एक्स पी 9 के द्वारा जब्त की गई सामग्री से 10 ग्राम ब्राउन शुगर लेकर दो सैंपल पैकेट तैयार किए गए थे। फिर नमूनों को सील कर दिया गया तथा एक्स पी 10 के द्वारा एक नमूना मुहर पंचनामा तैयार किया गया। इसके पश्चात्, अभिकथित पदार्थ का एक जब्ती ज्ञापन तैयार किया गया था (एक्स पी-11) तथा उसके पश्चात्, आगे की कार्यवाही का संचालन किया। हालांकि, इसके विपरीत, प्रतिपरीक्षा में उसने स्वीकार किया कि अभियुक्त/उत्तरवादी ने उसकी तलाशी नहीं ली, बल्कि उसने उसे अपनी जेबें दिखायीं। उसने आगे स्वीकार किया कि एक्स पी-5 (खोज पंचनामा) में, उसने जेब खोले जाने तथा फिर आरोपी/उत्तरवादी को दिखाए जाने का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्त/उत्तरवादी को दिए गए एक्स.पी-4 (एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के तहत नोटिस) में उन्होंने यह उल्लेख नहीं किया कि अभियुक्त/उत्तरवादी को मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी द्वारा तलाशी लेने का अधिकार है और न ही उन्होंने केस डायरी में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है।

11. इस स्तर पर, एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 में निहित प्रावधानों को पुनः प्रस्तुत करना उपयुक्त होगा:---

“50. वे शर्तें जिनके तहत व्यक्तियों की तलाशी ली जाएगी तलाशी लेने का अधिकार--

(1) जब धारा 42 के अधीन सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी धारा 41, धारा 42 या धारा 43 के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला हो, तो वह, यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करे, तो ऐसे व्यक्ति को बिना अनावश्यक विलंब के धारा 42 में वर्णित किसी विभाग के निकटतम राजपत्र अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा।

(2) यदि ऐसी अर्जी की जाती है, तो अधिकारी उस व्यक्ति को तब तक निरुद्ध कर सकेगा जब तक वह उसे उपधारा (1) में निर्दिष्ट राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं ला सकता है।



(3) राजपत्र अधिकारी या मजिस्ट्रेट, जिसके समक्ष ऐसा कोई व्यक्ति लाया जाता है, यदि उसे तलाशी के लिए कोई उचित आधार नहीं दिखता है तो वह उस व्यक्ति को तुरन्त छोड़ देगा, किन्तु अन्यथा निर्देश देगा कि तलाशी ली जाए।

(4) एक महिला के अलावा किसी भी महिला की तलाशी नहीं ली जाएगी।

(5) जब धारा 42 के अधीन सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि तलाशी लिए जाने वाले व्यक्ति को निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाना संभव नहीं है, क्योंकि तलाशी लिए जाने वाले व्यक्ति के पास कोई स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ, या नियंत्रित पदार्थ या वस्तु या दस्तावेज होने की संभावना नहीं है, तो वह ऐसे व्यक्ति को निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाने के बजाय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 100 के अधीन उपबंधित रूप में तलाशी लिया जा सकेगा।

(6) उपधारा (5) के अधीन तलाशी लिए जाने के पश्चात, अधिकारी ऐसे विश्वास के कारणों को अभिलिखित करेगा जिसके कारण ऐसी तलाशी लेना आवश्यक हो गया था और बहत्तर घंटे के भीतर उसकी एक प्रति अपने अव्यवहित वरिष्ठ अधिकारी को भेजेगा।”

12. उपरोक्त प्रावधान को ध्यानपूर्वक पढ़ने पर यह पता चलता है कि जब किसी व्यक्ति की तलाशी ली जानी हो, तो उसे राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लेने के अपने अधिकार के बारे में अवश्य सूचित किया जाना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने के. मोहनन बनाम केरल राज्य, (2000) 10 एससीसी 222 में रिपोर्ट किए गए मामले में इस प्रावधान का अनुपालन अनिवार्य माना है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह, (1999) 6 एससीसी 172 में रिपोर्ट किए गए मामले में अपने स्वयं के निर्णय पर भरोसा करते हुए, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के अनुपालन के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया था। कंडिका 5, 6 और 7 सुसंगत हैं और नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:—

5. इस न्यायालय की संविधान पीठ ने बलदेव सिंह (सुप्रा) मामले में अधिनियम की धारा 50 के अनुपालन के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया है। पीठ ने विधि के कुछ प्रस्ताव निर्धारित किए हैं, जिनमें से प्रथम और द्वितीय नीचे उद्धृत हैं: (एस. सी. सी. पीपी. 208-09, कंडिका 57)

"57.(1) जब कोई सशक्त अधिकारी या पूर्व सूचना के आधार पर विधिवत् प्राधिकृत अधिकारी किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला हो, तो उसके लिए यह आवश्यक है कि वह संबंधित व्यक्ति को धारा 50 की उपधारा (1) के अंतर्गत तलाशी के लिए निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाए जाने के अपने अधिकार के बारे में सूचित करे। हालाँकि, ऐसी जानकारी आवश्यक रूप से लिखित रूप में नहीं हो सकती है।

(2) संबंधित व्यक्ति को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लेने के उसके अधिकार के अस्तित्व के बारे में सूचित न करने से अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न होगा।



6. यदि तलाशी लिए गए अभियुक्त से केवल यह पूछा गया था कि क्या उसे राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लेने की आवश्यकता है, तो इसे यह नहीं माना जा सकता कि उसे यह सूचित किया गया है कि उसे कानून के तहत इस प्रकार तलाशी लेने का अधिकार है। इस मामले में अ.सा. 1 ने जो किया वह अभियुक्त की राय लेना था कि वह इसे चाहता था या नहीं। यदि उसे बताया गया होता कि उसे कानून के तहत अपनी तलाशी कराने का अधिकार है, तो आरोपी ने क्या जवाब दिया होता, इसका अंदाजा हम इतने समय में नहीं लगा सकते हैं। यह विशेष रूप से तब होता है जब अपीलार्थी द्वारा समस्त चरणों में अपनाया गया मुख्य बचाव यह था कि अधिनियम की धारा 50 का पालन नहीं किया गया था।

7. इसलिए हम मानते हैं कि अधिनियम की धारा 50 का पालन नहीं किया गया था तथा परिणामस्वरूप अ.सा. 1 द्वारा बोली गई खोज के साक्ष्य पर यह दिखाने के लिए किसी अन्य स्वतंत्र साक्ष्य के अभाव में कार्रवाई नहीं की जा सकती है कि अपीलार्थी के पास निषिद्ध वस्तु थी।”

13. जब वर्तमान मामले की परीक्षा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 में निहित प्रावधानों के प्रकाश में की जाती है, तो यह स्पष्ट है कि अन्वेषण अधिकारी के लिए संबंधित व्यक्ति/अभियुक्त को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) के तहत तलाशी के लिए निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाने के उसके अधिकार के बारे में सूचित करना अनिवार्य है, हालांकि, राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लेने के उसके अधिकार के अस्तित्व के बारे में संबंधित व्यक्ति को सूचित करने में विफलता से आरोपी के प्रति पूर्वाग्रह पैदा होगा। वर्तमान मामले में, पीडब्लू-6 श्रीमती दया कुर्रे, अन्वेषण अधिकारी ने अपने साक्ष्य में स्वीकार किया कि अभियुक्त/उत्तरवादी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के तहत नोटिस (एक्स.पी-4) देने के बाद, उन्होंने अभियुक्त/उत्तरवादी को मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी द्वारा तलाशी लेने के उसके अधिकार के बारे में सूचित नहीं किया और न ही केस डायरी में उपरोक्त तथ्य का उल्लेख किया। यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि पीडब्लू-6 श्रीमती दया कुर्रे, अन्वेषण अधिकारी ने अभियुक्त/उत्तरवादी को केवल तलाशी लेने का विकल्प दिया था, जबकि उन्हें अभियुक्त/उत्तरवादी को मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी द्वारा तलाशी लेने के उसके अधिकार के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित करना चाहिए था। ऐसी सूचना के अभाव में, मेरी सुविचारित राय में, पीडब्लू-6 श्रीमती दया कुर्रे द्वारा की गई तलाशी इस अनिवार्य प्रक्रियात्मक सुरक्षा के अनुपालन न करने के कारण दोषपूर्ण है।

14. उपरोक्त के अतिरिक्त, यद्यपि जब्ती कार्यवाही के साक्षी, अभि.सा.-2 शंकर चतुर्वेदी ने यह कहा है कि उन्होंने एक्स पी/ .-3 से एक्स पी/ .-13 तक के दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर किए थे, परन्तु जिरह में उन्होंने स्वीकार किया कि एक्स पी/ .-3 और 4 में पुलिस ने जो लिखा था, वह उनके समक्ष पढ़कर नहीं सुनाया गया था। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि दस्तावेज एक्स पी/ -7 से एक्स पी/ -13 उनकी उपस्थिति में नहीं लिखे गए थे तथा उन्हें केवल उन पर हस्ताक्षर करने के लिए बनाया गया था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उनकी उपस्थिति में जब्त किए गए पदार्थ का कोई वजन नहीं किया गया था, न ही उनके सामने कोई जब्ती की कार्यवाही हुई थी।



उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि विक्रेता होने के नाते, वह जीआरपी पुलिस थाने के कांस्टेबलों को जानते थे और वह जीआरपी थाने जाते थे और इस तरह की जान-पहचान के कारण, उन्होंने जीआरपी पुलिस द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह एक गरीब व्यक्ति है और उसने पुलिस के डर से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार, इस साक्षी ने अभिकथित ज़ब्ती और अन्य कार्यवाहियों (एक्स पी/ -4 से पी-13) के संबंध में अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। इसके अलावा, कथित ज़ब्ती और अन्य कार्यवाहियों (एक्स पी-4 से पी-13) के एक अन्य साक्षी, अर्थात् राजाराम मिश्रा, से भी अभियोजन पक्ष द्वारा उन कारणों से परीक्षा नहीं की गई है जो उसे ज्ञात हैं। इसके अलावा, दस्तावेजों एक्स. पी-9 और पी-10, वज़न पंचनामा और मादक पदार्थ की सील पंचनामा के अवलोकन से पता चलता है कि इन पर संबंधित विभाग की नमूना मुहर नहीं है। उपरोक्त के अलावा, जब्त मालखाना रजिस्टर की प्रति, एक्स.पी-16 सी में, मालखाना से नमूने के पैकेट निकालने का कोई उल्लेख नहीं था और कांस्टेबल संख्या 152 जागेश्वर रावते, जिन्होंने जब्त पदार्थ को एफएसएल में जमा किया था, से भी अभियोजन पक्ष द्वारा सही तथ्य अभिलेख पर लाने के लिए परीक्षा नहीं की गई है। इसके अलावा, हालांकि अभियोक्ता-4 परमानंद भोई ने यह बयान दिया है कि जब्त किया गया मादक पदार्थ भंडार कक्ष में रखा गया था, लेकिन उन्होंने अपने साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि उक्त पदार्थ को कभी भी रासायनिक परीक्षण के लिए स्टोर रूम से बाहर निकाला गया था, जिससे अभियोजन पक्ष की कहानी संदिग्ध हो जाती है।

15. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विस्तृत चर्चा की और संपूर्ण साक्ष्य का विश्लेषण करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि पीडब्लू-6 श्रीमती दया कुर्रे, अन्वेषण अधिकारी ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 में निहित प्रावधानों का सख्ती से पालन किया था और अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे उत्तरवादी के विरुद्ध लगाए गए आरोप के सभी तथ्यों को साबित करने में विफल रहा है और इस तरह, संदेह के लाभ के आधार पर आरोपी/उत्तरवादी को उसके खिलाफ लगाए गए उक्त आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया।

16. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित विस्तृत निर्णय पर विचार करने के पश्चात, मेरा यह विचार है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21(बी) के तहत आरोप से अभियुक्त/उत्तरवादी को दोषमुक्त करने वाला निर्णय न्यायसंगत एवं उचित है तथा इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। 17. तदनुसार, अभियुक्त/उत्तरवादी के दोषमुक्त होने के विरुद्ध अपीलार्थी/राज्य द्वारा की गई यह दोषमुक्ति की अपील एतद्द्वारा खारिज कर दी जाती है।

सही/-
(राधाकिशन अग्रवाल)
न्यायाधीश



(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

